

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग  
बहादुरशाह जफर मार्ग,  
नई दिल्ली-110002

मिसिल सं. 7-3/97 (एम.पी.सी.)

दिसम्बर, 2011

प्रेस विज्ञापित

जाली यूनिवर्सिटियों/विश्वविद्यालयों के प्रति सावधानियाँ

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसके ऊपर देश-पर्यन्त उच्चतर शिक्षा के मानको को अनुरक्षित करने का दायित्व है उस आयोग के लिए, जाली यूनिवर्सिटियों/विश्वविद्यालयों की संख्या की अनियमित अभिवृद्धि एक महान चिंता का विषय है। यह देखा गया है कि ऐसे कुछ संस्थान हैं जिनके द्वारा स्नातक स्तर/स्नातकोत्तर स्तर पर विभिन्न विषयों में डिग्रियाँ प्रदान की जा रही हैं। ऐसे संस्थान न तो केन्द्रीय अथवा राज्य अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित हैं अतः ऐसे संस्थान जाली यूनिवर्सिटियाँ/विश्वविद्यालय हैं तथा डिग्रियाँ प्रदान करने का उन्हें कोई भी अधिकार नहीं है।

ऐसे छात्र जो कि अध्ययन के लिए उत्सुक हैं, उन्हें यह परामर्श दिया जाता है कि वे ऐसे स्व-अभिकल्पित यूनिवर्सिटियों/विश्वविद्यालयों के अन्तर्गत उच्चतर शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए अध्ययनरत न हों। वर्तमान में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अभिलेख के अनुसार ऐसे 21-स्व-अभिकल्पित यूनिवर्सिटियाँ/विश्वविद्यालय हैं जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए सक्रिय बने हुए हैं तथा वे निम्नलिखित हैं:

**बिहार**

1. मैथिली विश्वविद्यालय/ यूनिवर्सिटी, दरभंगा, बिहार।

**दिल्ली**

2. वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी (यू.पी)/जगतपुरी, दिल्ली।
3. कमर्शियल यूनिवर्सिटी लिमिटेड, दरियागंज, दिल्ली।
4. यूनाइटेड नेशन्स यूनिवर्सिटी, दिल्ली।
5. वोकेशनल यूनिवर्सिटी, दिल्ली।
6. ए.डी.आर-सेन्ट्रिक ज्यूरिडिकल यूनिवर्सिटी, एडीआर हाउस, 8 जे-गोपाला टॉवर, 25 राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008
7. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइन्स एण्ड इंजीनियरिंग, नई दिल्ली।

**कर्नाटक**

8. बडागानवी सरकार वर्ल्ड ओपन यूनिवर्सिटी एजुकेशन सोसाइटी, गोकाक, बेलगाम (कर्नाटक)।

**केरल**

9. सेंट जॉन विश्वविद्यालय, कृष्णटम, केरल।

**मध्य- प्रदेश**

10. केसरवानी विद्यापीठ, जबलपुर (म.प्र.)।

**महाराष्ट्र**

11. राजा अरेबिक यूनिवर्सिटी, नागपुर।

**तमिल नाडु**

12. डी.डी.बी. संस्कृत विश्वविद्यालय, पुत्तुर, त्रिची, तमिलनाडु।

**पश्चिम बंगाल**

13. इंडियन इंस्टीट्यूट आफ ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, कोलकाता।

**उत्तर प्रदेश**

14. महिला ग्राम विद्यापीठ / विश्वविद्यालय (वीमेन्स यूनिवर्सिटी), प्रयाग, इलाहाबाद (यू.पी.)।

15. गांधी हिन्दी विद्यापीठ, प्रयाग इलाहाबाद (यू.पी.)।

16. नेशनल यूनिवर्सिटी आफ इलेक्ट्रो कम्प्लेक्स होमियोपैथी, कानपुर, (यू.पी.)।

17. नेताजी सुभाष चन्द्र बोस यूनिवर्सिटी (ओपन यूनिवर्सिटी), अचलताल, अलीगढ़, (यू.पी.)।

18. उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय, कोसी कला, मथुरा (यू.पी.)।

19. महाराणा प्रताप शिक्षा निकेतन विश्वविद्यालय, प्रतापगढ़ (यू.पी.)।

20. इन्द्रप्रस्थ शिक्षा परिषद, इन्स्टीट्यूशनल एरिया, खोडा, माकनपुर, नोएडा, फेज-(II) (यू.पी.)।

21. गुरुकुल विश्वविद्यालय, वृन्दावन, मथुरा (यू.पी.)।

\* भारतीय शिक्षा परिषद्, लखनऊ, उत्तर प्रदेश – यह मामला जिला न्यायाधीश, लखनऊ के समक्ष विचाराधीन है।

संदेह की किसी भी स्थिति में, छात्र, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कार्यालय, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से इस विषय में सम्पर्क करें अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वेबसाइट [www.ugc.ac.in](http://www.ugc.ac.in) का उपयोग करें।

(डा०श्रीमति उर्मिला देवी)  
संयुक्त सचिव  
(अनाचार प्रकोष्ठ)